23/6/17 आवेदक पत्रावली को न्यायालय सुरक्षा में मूल वाद के साथ पेश हुयी मूल वाद में तात्पाधिक निर्णय हो चुका है इसलिये प्रकरण में पूर्व में जारी आदेश 22-08-2013 को वापिस वाद करार किया जाता है पत्रावली नस्ता से कम होकर वाद तकमीम सहायक कलक्टर की अदालत निर्णय न्यायालय में लिखाया जाकर स्थगन में रखा गया।

Scanned by CamScanner